<u>न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103000202015

व्यवहार वाद कं.—120ए/16 संस्थापित दिनांक—12.02.2015

1.बलराम सिंह पुत्र अनरत सिंह जाति यादव उम्र 47 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम चुरारी परगना चंदेरी जिला अशोकनगर।

2.रितभान सिंह पुत्र अनरत सिंह जाित यादव उम्र 40 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम चुरारी परगना चंदेरी जिला अशोकनगर।

3.धनकुंवर बाई पुत्री अनरत सिंह जाति यादव उम्र 56 वर्ष, व्यवसाय खेती, गृहकार्य निवासी ग्राम चुरारी परगना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

....वादीगण

विरुद्ध

1.संग्राम सिंह पुत्र संजय सिंह जाति यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर 2.रामराजा पुत्र संजय सिंह जाति यादव उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर। 3.राजपाल सिंह पुत्र संजय सिंह जाति यादव उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर 4.शिशुपाल पुत्र संजय सिंह जाति यादव उम्र 42 साल, निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर 5.प्रहलाद पुत्र रामराजा जाति यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर 6.अनिल पुत्र रामराजा जाति यादव उम्र 20 साल, निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर

7.मलखान पुत्र संग्राम सिंह जाति यादव उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चुरारी, परगना चंदेरी जिला अशोकनगर 8.राजगव्वर पुत्र शिशुपाल जाति यादव उम्र 21 वर्ष 9.उदल सिंह पुत्र संग्राम सिंह जाति यादव उम्र 23 वर्ष 10.श्रीमति रामसखी बाई पत्नी रामराजा जाति यादव उम्र 42 वर्ष

11.कलाबाई पत्नी राजपाल सिंह जाति यादव उम्र 35 वर्ष
12.गीताबाई पत्नी शिशुपाल सिंह जाति यादव उम्र 40 वर्ष
13.दुर्गाबाई पत्नी संग्राम सिंह जाति यादव उम्र 48 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम चुरारी परगना चंदेरी जिला
अशोकनगर म0प्र0

.....असल प्रतिवादीगण

14.म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, अशोकनगर म0प्र0।

..... फोरमल प्रतिवादी

वादीगण द्वारा श्री ए के जैन अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 13 द्वारा श्री पठान अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 14 पूर्व से एकपक्षीय।

// निर्णय//

(आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम चुरारी तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 308/2 रकवा 0.206 हे0, सर्वे क्रमांक 309/2 रकवा 0.162 हे0, सर्वे क्रमांक 349/4/2 रकवा 0.337 हे0, सर्वे क्रमांक 395/4/2 रकवा 0.137 हे0, सर्वे क्रमांक 422/47/2 रकवा 0.836 हे0, सर्वे क्रमांक 422/48/2 रकवा 0.523 हे0, सर्वे क्रमांक 464/2 रकवा 0.345 हे0, सर्वे क्रमांक 466/2 रकवा 0.345 हे0, सर्वे क्रमांक 342/2 रकवा 0.297 हे0, कुल रकवा 3.816 (जिसे आगे विवादित भूमि से

संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

- 02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी। वादीगण के अनुसार अनरत सिंह की मृत्यु हो गई है तथा वे अनरत सिंह के वैधानिक वारिस होकर उक्त भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हैं। वादीगण के अनुसार उक्त भूमि का बंटवारा हो गया है, किंतु वे खेती शामिल शरीफ करते हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर झगडालू प्रवृत्ति के लोग हैं तथा उनके द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण उन्हें भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते हैं तथा उनके द्वारा विनांक 20.04.15 को उक्त विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी ने इस आशय की डिकी चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी ६ गोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे और साथ ही पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।
- 04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का अभिवचन है कि उक्त विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्मिलित भूमि है तथा उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर एकपक्षीय रूप से बंटवारा करा लिया है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर

निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :--

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि ग्राम चुरारी तहसील	''हां''
	चंदेरी स्थित भूमि 308/2 रकवा 0.206 हे0, सर्वे	
	कमांक 309/2 रकवा 0.162 हे0, सर्वे कमांक	
	349 / 4 / 2 रकवा 0.337 हे0, सर्वे क्रमांक	
	395 / 4 / 2 रकवा 0.137 हे0, सर्वे क्रमांक	
	422/47/2 रकवा 0.836 हे0, सर्वे क्रमांक	
	422/48/2 रकवा 0.523 हे0, सर्वे क्रमांक 464/2	
	रकवा 0.345 हे0, सर्वे कमांक 466/2 रकवा 0.345	
	हे0, सर्वे क्रमांक 315/2 रकवा 0.428 हे0, सर्वे	
	कमांक 342/2 रकवा 0.297 हे0, कुल रकवा 3.816	
	हे0 के स्वामित्वधारी है ?	
02.	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि के आधिपत्यधारी हैं ?	''हां''
03.	क्या प्रतिवादीगण ने वादीगण के वादग्रस्त भूमि के	"हां"
	आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने को	
	प्रयासरत या प्रयत्नशीन है ?	
04.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उस	"हां"
	पर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?	
05.	क्या वाद परिसीमा अवधि बाधित है ?	''नहीं''
08.	सहायता एवं व्यय ?	''निर्णयानुसार
		वादीगण का वाद

	स्वीकार कर डिकी
	किया गया''

_:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 वलराम, वा.सा. 02 राजन, वा.सा. 03 रामराजा की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्रपी 01 लगायत प्रपी 18 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 शिशुपाल, प्र.सा. 02 हरभजन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रडी 01 लगायत प्रडी 35 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।
- 07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न कमांक 04, 05 एवं 06 का निराकरण पृथक—पृथक से किया जा रहा है।

—:: <u>वादप्रश्न कं. 01 लगायत 03 ::</u>

08. वा.सा. 01 वलराम ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि उसके तथा उसके भाई—बहन है एवं राजस्व कागजात में उनके नाम पर इंद्राज है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके पिता की मृत्यु के बाद वे उक्त विवादित भूमि के भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हैं तथा खेती शामिल शरीक करते हैं। उक्त साक्षी के अनुसार प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृत्ति के हैं तथा उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार विवादित भूमि पहले प्रतिवादीगण के साथ शामिल खाते की थी तथा उनके पिता का आपस में बंटवारा हो गया था। वा.सा. 01 के अनुसार वह नहीं बता सकता कि कुल कितना बंटवारा हुआ था। वा.सा. 02 राजन के अनुसार उसने विवादित भूमि देखी है।

उक्त साक्षी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि का विधिवत् बंटवारा कराया गया था। वा.सा. 02 के अनुसार वह वादी का रिश्तेदार है तथा उसे विवादित भूमि का नंबर एवं रकवा नहीं मालूम। इसी प्रकार वा.सा. 03 ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे विवादित भूमि का सर्वे क्रमांक एवं रकवा नहीं मालूम। उक्त साक्षी के अनुसार वह खेत की चतुर सीमाएं नहीं बता सकता।

- 09. प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 02 हरभजन ने अपने कथन में बताया है कि उसने विवादित भूमि देखी है। उक्त साक्षी के अनुसार वह विवादित भूमि के नंबर नहीं बता सकता तथा वादीगण के पास कौन—कौन से सर्वे नंबरों की भूमि है वह यह भी नहीं बता सकता। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी शिशुपाल ने कथन करते हुए बताया है कि वादी ने गलत दावा प्रस्तुत किया है तथा उक्त विवादित भूमि का घरू बंटवारा हुआ है और उसी के अनुसार वह विवादित भूमि पर काबिज हैं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने वादी की भूमि पर कब्जा किया है।
- 10. वादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है जिस पर वे लोग खेती कर रहे हैं। वादीगण के अनुसार राजस्व दस्तावेजों में उक्त विवादित भूमि पर उनका नाम दर्ज है तथा प्रतिवादीगण ने उस पर कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण की ओर से इस तथ्य से इंकार किया गया है कि उनके द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा किया गया है। यद्यपि प्र.सा. 01 ने अपने कथन में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रकरण की विवादित भूमि पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं, समीचीन प्रतीत नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेजी

साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत ही कोई निष्कर्ष दिया जावे।

- 11. वादीगण ने उक्त विवादित भूमि के खसरा एवं किश्तबंद खतौनी वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं जो प्रपी 01 लगायत प्रपी 05 हैं जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने उक्त विवादित भूमि के बंटवारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 11 अभिलेख पर प्रस्तुत की है। उक्त आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण कमांक 11 अ 27/06—07 का है जिसमें उक्त विवादित भूमि विभाजन के बाद वादीगण के नाम दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि बंटवारे के पश्चात् वादीगण के नाम दर्ज होना दर्शित हो रहा है। वादीगण ने विक्रय पत्र प्रपी 15, प्रपी 16 एवं प्रपी 17 अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। उक्त विक्रय पत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमि वादी वलराम, रितभान द्वारा उक्त विवादित भूमियां क्रय की गई हैं।
- 12. प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें प्रडी 01 लगायत प्रडी 15 के खसरा एवं खतौनी वर्ष 2014—15 हैं। उक्त राजस्व दस्तावेजों में प्रकरण की विवादित भूमियां अंकित नहीं हैं तथा अन्य भूमियों का उल्लेख है जो कि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हैं। इसी प्रकार प्रडी 17 लगायत प्रडी 35 भी राजस्व दस्तावेज हैं जो कि वर्ष 2000 लगायत 2004 के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से पूर्व में दर्ज रही हैं।
- 13. वादीगण ने जो उपरोक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण का नाम उक्त विवादित भूमि पर खातेदार के रूप में दर्ज रहा है जिसके संबंध में वर्ष 2006–07 में प्रपी 11 के अनुसार

बंटवारा भी हुआ है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रडी 17 लगायत प्रडी 35 हैं जो अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं उनसे भी स्पष्ट होता है कि बंटवारे के पूर्व उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रहा है। उल्लेखनीय है कि बंटवारा प्रपी 11 के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रतीत हो कि उक्त बंटवारा गलत तरीके से किया गया है। प्रतिवादीगण ने मात्र यह कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में कोई बंटवारा नहीं हुआ, किंतु मात्र सरसरी तौर पर किए गए उक्त कथन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि प्रतिवादीगण ने उक्त बंटवारा प्रपी 11 को चुनौती दी है।

- 14. उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण ने स्वयं अपनी साक्ष्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रपी 11 का बंटवारा वर्ष 2006—07 में हुआ है तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बंटवारे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं क्या चुनौती दी गई, इसका कोई उल्लेख प्रतिवादीगण ने न तो अपने जवाब में किया है और न ही अपनी साक्ष्य में किया है। वादीगण ने न्यायालय में चल रहे प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रपी 06 भी अभिलेख पर प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा कर फसल काट ली है।
- 15. उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं और साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उनकी फसल काटी है तथा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उपरोक्त साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के वैध आधिपत्यधारी हैं। उल्लेखनीय है कि

वादीगण ने ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर यह आंकलन किया जा सके कि वादीगण को उक्त विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किए गए कब्जे के कारण पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से हानि हो रही है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 सकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-04</u> ::-

16. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है। वादीगण ने वाद का मूल्यांकन लगान के बीस गुना एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सौ रुपये निश्चित न्यायशुल्क चस्पा किया गया है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन न्यायशुल्क अधिनियम की धारा ७ के प्रवधानों के अंतर्गत किया गया है जो कि उचित प्रतीत होता है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-05</u> ::-

17. वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 21.10.14 एवं 23.10. 14 को उनकी आधिपत्य की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी गई थी। वादीगण ने प्रस्तुत वाद दिनांक 12.02.15 को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद उक्त वाद कारण दिनांक से चार माह के भीतर प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत वाद वाद कारण दिनांक से परिसीमा समय के भीतर प्रस्तुत किया गया है। परिणामतः वाद प्रश्न कमांक 05 नकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

-:: <u>वादप्रश्न कं.-06</u> ::-

- 18. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। परिणामतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिकी किया जाता है। एतद द्वारा आदेशित किया जाता है कि वादीगण ग्राम चुरारी तहसील चंदेरी स्थित भूमि 308/2 रकवा 0.206 हे0, सर्वे कमांक 309/2 रकवा 0.162 हे0, सर्वे कमांक 349/4/2 रकवा 0.337 हे0, सर्वे कमांक 395/4/2 रकवा 0.137 हे0, सर्वे कमांक 422/47/2 रकवा 0.836 हे0, सर्वे कमांक 422/48/2 रकवा 0.523 हे0, सर्वे कमांक 464/2 रकवा 0.345 हे0, सर्वे कमांक 466/2 रकवा 0.345 हे0, सर्वे कमांक 315/2 रकवा 0.428 हे0, सर्वे कमांक 342/2 रकवा 0.297 हे0, कुल रकवा 3.816 हे0 के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के आधिपत्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
- 19. वाद का संपूर्ण व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत इस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फर इकबाल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 चंदेरी, जिला अशोकनगर